

२१वीं सदी में भारतीय महिलाओं के समक्ष चुनौतियां

बीज शब्द :

महिला सशक्तिकरण, विमेंस लिबरेशन, एक्वेरियन युग, सामंतवादी मनोवृत्ति, पितृसत्तात्मकता

वैश्विक स्तर पर नारीवादी आन्दोलनों ने भारतीय महिलाओं में भी जागृति पैदा की है। विचारधारात्मक स्तर पर जहाँ नारीवादी आन्दोलन उत्कट, उदारवादी एवं समाजवादी श्रेणी में विभक्त है, वहीं नारीवाद का भारतीय परिप्रेक्ष्य भी दृष्टिगोचर होता है जिसमें हम देखते हैं कि नारी प्राकृतिक विषमता को स्वीकार कर पुरुष से कृत्रिम विषमता के अन्त की मांग करती है। वह न तो उग्रवादियों की तरह परम्परा और सांस्कृतिक विरासत को समाप्त करना चाहती है और न ही समाजवादियों की तरह श्रेणियों में वर्गीकृत समाज स्थापित करना चाहती है बल्कि नारी स्वयं के बुद्धि, विवेक, कुशलता एवं क्षमता का प्रदर्शन कर समाज में समतामूलक विकास में सहभागी बनना चाहती है। यद्यपि भारतीय संविधान में प्रारम्भ से ही राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर नारियों से भेदरहित उपबन्ध किये गये हैं किन्तु उन्हें यथार्थ के धरातल पर स्थापित कर वास्तव में 50 प्रतिशत आबादी को न्याय दिलाने का लक्ष्य अभी अधूरा है।

डॉ० बिपिन चन्द्र कौशिक

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिविज्ञान विभाग

डी0बी0एस0 कॉलेज, कानपुर

E-mail: bipin_kaushik@rediffmail.com

२१वीं सदी में भारतीय महिलाओं के समक्ष चुनौतियां

आज महिलाओं का सशक्तीकरण 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है, लेकिन व्यावहारिक रूप से महिला सशक्तीकरण अभी भी वास्तविकता के धरातल से दूर है। हम अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं कि कैसे महिलाएं विभिन्न सामाजिक बुराइयों का शिकार हो जाती हैं। महिला सशक्तीकरण महिलाओं के पास संसाधनों की क्षमता बढ़ाने और रणनीतिक जीवन विकल्प बनाने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। महिलाओं का सशक्तीकरण मूलतः महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान की प्रक्रिया है।

महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य महिलाओं के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जीवन की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक या आर्थिक ताकत में वृद्धि करना है। भारत में महिला सशक्तीकरण कई अलग-अलग चर पर निर्भर है, जिसमें भौगोलिक स्थिति (शहरी एवं ग्रामीण), शैक्षिक स्थिति, सामाजिक स्थिति (जाति और वर्ग) और उम्र शामिल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर, लिंग आधारित हिंसा और राजनीतिक भागीदारी सहित कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय पंचायत स्तरों पर महिला सशक्तीकरण की नीतियां मौजूद हैं। हालाँकि सामुदायिक स्तर पर नीतिगत प्रगति और वास्तविक अभ्यास के बीच महत्वपूर्ण अंतर है।

दुनिया की आबादी का लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं, लेकिन भारत ने अनुपात में अत्यधिक अन्तर पाया जाता है। यहाँ महिलाओं की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से पुरुषों की तुलना में कम है। जहां तक उनकी सामाजिक स्थिति का सवाल है, उन्हें सभी जगहों पर पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। पश्चिमी समाजों में, महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान अधिकार और दर्जा मिला है। लेकिन लैंगिक विषमता और भेदभाव आज भी भारत में पाए जाते हैं। विरोधाभास की स्थिति ऐसी है कि वह कभी-कभी देवी के रूप में पूजित की जाती है तो कभी-कभी केवल दास के रूप में। प्रत्ययवादियों के दो दृष्टिकोण थे। एक दृष्टिकोण यह था कि महिलाओं की प्राकृतिक जगह घर पर थी और मतदान के अधिकार उनके घरेलू जीवन को प्रभावित करने वाले कानूनों को बनाने में मदद करेंगे। दूसरा दृष्टिकोण यह था कि पुरुषों और महिलाओं को हर तरह से समान होना चाहिए और एक महिला के लिए 'स्वाभाविक' भूमिका जैसी कोई चीज नहीं थी। महिला मताधिकार आंदोलन

को प्रथम चरण नारीवादी आंदोलन की पहली लहर के रूप में देखा जा सकता है, जिसने 1960 के दशक -1980 के दशक में व्यापक संकल्पनाओं का सृजन किया था। दूसरी लहर ने कानूनों की असमानताओं के साथ-साथ कथित सांस्कृतिक असमानताओं से संघर्ष का मार्ग चुना। यद्यपि नारीवादी शब्द 1880 में गढ़ा गया था, लेकिन एक आंदोलन के रूप में इसका उपयोग 1960 के दशक में हुआ। 'फेमिनिस्ट' वे पुरुष और महिलाएं थीं जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए महिलाओं की ओर से उनके अधिकारों को लिखा, बोला और काम किया। प्रसिद्ध लेखिका रेबेका वेस्ट ने नारीवाद को अपनी अब तक की प्रसिद्ध टिप्पणियों के साथ परिभाषित किया, "मैं खुद कभी यह जानने में सक्षम नहीं रही कि नारीवाद क्या है, मैं केवल यह जानती हूँ कि जब भी मैं भावनाओं को व्यक्त करती हूँ, तो लोग मुझे एक नारीवादी कहते हैं, जो मुझे एक डोरमैट या वेश्या से अलग करती है। 'दुर्भाग्य से इस लहर को अब तक कुख्यात और अधिक बदनामी मिली और इसके अनुसार कुछ काल्पनिक ब्रा जलने के एपिसोड के साथ पहचाना गया। इस चरण में, महिलाओं ने यह साबित करके पुरुषों के साथ खुद को बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की कि वे पुरुषों से बेहतर नहीं हो सकते तो उनकी ही तरह अच्छे हैं।

महिलाओं के अधिकार आंदोलन को बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में व्यापक समर्थन मिला, जब भेदभाव, असमानता और सीमित अवसरों जैसी जीवन के सभी आवश्यक समस्याओं के क्षेत्र में महिलाओं ने संघर्ष का सामना करना जारी रखा। 1966 में 'विमेंस लिबरेशन' वाक्यांश प्रिंट मीडिया में दिखाई दिया। साठ के दशक में मानव इतिहास में एक व्यापक परिवर्तन दिखा, जिस अवधि में अधिक से अधिक महिलाएं उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल हुईं, तब से महिलाओं ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 21वीं सदी के प्रारम्भ में दुनिया भर में महिलाओं को लाभ की स्थिति में देखा गया, किन्तु क्या वे सचमुच प्रगति के पथ पर हैं। वे अपने भीतर की आवाज पर ध्यान दे रही हैं। वास्तव में उन्हें अब खोखले शब्दजाल और भाषावाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक आवाज पा रही हैं। वह अपने विवेक के साथ गठबंधन कर रही हैं और उद्देश्यपूर्ण प्रगति के साथ आगे बढ़ रही हैं।

21 वीं सदी बदलाव की सदी है। सम्पूर्ण पृथ्वी "द शिफ्ट ऑफ द एज" के लिए तैयार है। इस नए युग में प्यार

और करुणा, पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति पर शासन करेगी और दया की अपनी प्राकृतिक विशेषताओं के साथ महिला वैश्विक परिवर्तन के बीज बोएंगी। ये परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुके हैं और जल्द ही वे एक अभूतपूर्व गति प्राप्त करेंगे। समय सभी जातियों, वर्गों, नस्लों और राष्ट्रीयताओं की महिलाओं के लिए एक साथ आने के लिए तैयार है, जो इस बदलाव की अग्रदूत हैं। पृथ्वी माता आह्वान कर रही है, जल्द ही पौराणिक शक्ति की अवधारणा की तरह यह अपनी असली ताकत दिखाएगी और रास्ते में आने वाली सभी बुरी शक्तियों का सफाया करेगी। केवल महिलाओं को उनकी जरूरत के समय में माता कहने की सहानुभूति से छुटकारा मिलेगा, जब मैं महिला कहता हूँ, तो मेरा मतलब उन पुरुषों और महिलाओं से समान रूप से है जो नारीवादी चिन्तन करते हैं। भारतीय धर्मग्रंथों ने हमेशा 'अर्धनारीश्वर' के बारे में बात की है अर्थात् स्त्री एवं पुरुष सम्मिलित देवता के रूप में प्रकट किये गये हैं।² हम सभी में उस स्त्री-पुरुष संतुलन को लागू करने का समय आ गया है। पृथ्वी पर होने वाली अधिकांश घटनाएँ चारों ओर प्रेम के स्त्री सार के उद्भव की मांग करती हैं। 21वीं सदी में महिलाओं को अपने साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को देखने की जरूरत नहीं है। अब समय उनको पीछे हटाकर इस 'एक्वेरियन युग' में उनकी भूमिका को आगे बढ़ाने का है। महिलाओं को आज एक आदर्श रोल मॉडल के लिए कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। उन्हें सही समय पर सही कदम उठाने के लिए अपने अंतर्ज्ञान को देखने और सुनने की जरूरत है। अभी उन्हें सही इरादे निर्धारित करने की जरूरत है और उनके सभी इरादे बाद में जल्द ही प्रतिफलित होंगे। यही नव युग की शक्ति है।

यह अक्षय प्रश्न आज भी है कि, हम उन परंपराओं को कैसे बदल सकते हैं जो हमारी व्यवस्था में युगों से व्याप्त हैं? मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि चाहे जितनी भी परंपराएँ क्यों न दिखती हों, अगर वे आपकी वर्तमान वास्तविकता के साथ सामंजस्य नहीं रखती हैं, तो वे आपके लिए उपयोगी नहीं हैं। यह पूरा ब्रह्मांड निरन्तर बदल रहा है, हमें पुरानी व्यवस्था में फँसने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अब किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते? यहां तक कि हमारी तथाकथित परम्पराएँ समाज का भी गला घोट रही हैं। उन्हें समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्या आपने एक साधारण हाथी को एक छोटे से रस्से में बंधे हुए देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि शक्तिशाली जानवर सिर्फ एक छोटे रस्से से मुक्त होने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करता है? समस्या यह है कि बचपन से हाथी को यह विश्वास करने के

लिए अनुकूलित किया गया है कि वह इस बन्धन को तोड़ने में सक्षम नहीं है। एक बच्चे के रूप में, जब वह पहली बार रस्से से बंधा था, तो उसने मुक्त होने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका, आखिरकार उसने कोशिश करना छोड़ दिया, यह सोचकर कि वह नहीं कर सकता और अब जब वह इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली जानवरों के रूप में बड़ा हो गया है, तब भी वह मानता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वास्तव में विश्वास ही व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। इसलिए महिलाओं को अपनी सीमित मान्यताओं से मुक्त होने की जरूरत है।

यह आश्चर्य का विषय है कि हम एक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति से कैसे फर्क कर सकते हैं? इस लौकिक जगत में हम सभी इस कृत्य में भागीदार हैं। जब हममें से कोई एक कदम बढ़ाता है, तो वह ब्रह्मांड को एक डिग्री घुमाने में मदद करता है। जब हम में से प्रत्येक एक छोटा प्रयास भी करता है, तो उसमें पहाड़ों को हिलाने की शक्ति होती है। अब हमें स्वयं अपनी शक्ति पर विश्वास करना है? किसी को अपने समुदाय, अपने पड़ोस, अपने देश में कदम रखने के लिए पहले आगे बढ़ना होगा। एक कदम उठाकर, एक नये प्रयास से उन महिलाओं के जीवन को प्रभावित करेंगे, जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं।

हममें से कुछ लोग संदेह का सामना कर रहे होंगे, कि मेरे पास इतना साहस नहीं है। इस बदलाव को लाने के लिए हमें अपने आपको रानी लक्ष्मीबाई होने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस अपनी आवाज दूँदनी है। हमें बस बिना शर्त प्यार और करुणा फैलाने की जरूरत है। बस हम जो भी कर सकते हैं, उसमें पहला कदम उठाएं। आंसुओं की शक्ति का उपयोग करें, क्रोध की शक्ति का उपयोग करें और शब्दों की शक्ति का उपयोग करें। भारतीय संविधान में लैंगिक समानता का सिद्धांत अपने प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशात्मक सिद्धांतों में निहित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है बल्कि राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह महिलाओं से भेदमूलक कुरीतियों को समाप्त कर उन्हें शक्तिशाली बनाये। लोकतांत्रिक राजनीति के ढांचे के भीतर, हमारे कानून, विकासात्मक नीतियाँ, योजनाएँ और कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति के उद्देश्य से सृजित की गयी हैं। भारत में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इसकी पुष्टि की है। भारत में महिलाओं के आंदोलन और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के व्यापक नेटवर्क की मजबूत उपस्थिति है और महिलाओं की

चिंताओं में गहरी अंतर्दृष्टि ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रेरक योगदान दिया है। महिलाएं आज समाज में अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही हैं। महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में लैंगिंग असमानताओं के प्रति तेजी से जागरूक हो गई हैं और वह उनसे लड़ने के तरीके तलाश रही हैं।³

भारतीय महिलाओं ने स्वयं दासता और पुरुष वर्चस्व को अपने जीवन के लिये चयनित किया है वह अपनी मर्जी से आयी है और गर्व तथा गरिमा के साथ सामाजिक उन्नति की सीढ़ी चढ़ने लगी है। भारत की महिलाएं अब राजनीतिक, सामाजिक, घरेलू और शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ उत्थान और मुक्ति तथा समानता का दर्जा प्राप्त करती हैं। उनके पास मताधिकार है, वे किसी भी सेवा में शामिल होने या किसी भी पेशे को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। मुक्त भारत में महिलाओं ने प्रधानमंत्री, राजदूत, कैबिनेट मंत्री, विधायक, राज्यपाल, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, अंतरिक्ष शोधकर्ता, दिग्गज आईटी विशेषज्ञ, जनरलों, सार्वजनिक अधिकारियों, न्यायपालिका अधिकारियों और कई अन्य जिम्मेदार पदों को धारित किया है। अब लड़कों और लड़कियों के बीच शिक्षा के मामले में कोई अंतर नहीं किया जाता है। उनकी आवाज अब पुरुषों की तरह ही सशक्त और महत्वपूर्ण है। वह सरकार बनाने या खारिज करने में बराबर की भागीदारी कर रही हैं।⁴

महिला सशक्तीकरण - वास्तविकता या भ्रम :

भारत में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं, किन्तु अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। संवैधानिक स्थिति, अभाव और गिरावट की वास्तविकता के बीच एक महान विचलन उत्पन्न होता है। भारतीय समाज में जो भी मुक्ति की लहरें फूटी हैं, वे शहरी महिलाओं द्वारा प्रारम्भ की गई हैं और उनका आनंद उठाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वे अभी भी परिवर्तनों की हवा से पूरी तरह से अछूती हैं। वे अभी भी गरीबी, अज्ञानता, अंधविश्वास और गुलामी में डूबी हुई दयनीय परिस्थितियों में रह रही हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक ओर संविधान विधानों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और संबंधित तंत्रों द्वारा सकारात्मक प्रयास करता है दूसरी ओर स्थितिगत वास्तविकता के बीच एक व्यापक खाई अभी भी मौजूद है। देश में मानवाधिकार का परिदृश्य निराशाजनक बना हुआ है। महिलाओं के साथ अमानवीय शोषण और भेदभाव किया जाता है। हालाँकि, संविधान द्वारा लैंगिक भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है और महिलाओं को पुरुषों के साथ राजनीतिक समानता की

गारंटी दी गई है, फिर भी संवैधानिक अधिकारों और महिलाओं द्वारा वास्तविकता में प्राप्त अधिकारों के बीच अंतर है। आजादी के 72 वर्षों बाद भी कुछ अपवादों को छोड़कर, महिलाएं ज्यादातर सत्ता और राजनीतिक अधिकार क्षेत्र से बाहर ही रही हैं। यद्यपि वे लगभग 50 प्रतिशत आबादी हैं और वर्षों से मतदान के माध्यम से अपनी भागीदारी कर रही हैं, फिर भी कानून बनाने और कानून लागू करने वाले निकायों में उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व बहुत संतोषजनक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों ने महिलाओं को जमीनी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहुंच प्रदान की है, लेकिन संसद और राज्य विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व काफी खराब है। असुरक्षा महिला नेताओं को जमीनी स्तर पर नेतृत्व की पहचान करने की अनुमति नहीं देती है। राजनीति में जब कोई पुरुष किसी महिला का प्रस्ताव करता है, तो वह खुद को प्रकट कर देता है। वास्तव में महिला प्रतिनिधित्व स्वभाव से सजावटी है और उनमें राजनीतिक चेतना का अभाव पाया जाता है। वे जाति और वर्ग विभाजन, सामंती मनोवृत्ति, परिवार की पितृसत्तात्मक प्रकृति और गाँव-सामाजिक, पर्यावरण, जातीय, धार्मिक अलगाववाद से प्रभावित हैं और इसी तरह वे केवल रिकॉर्ड पर सदस्य हैं। कथित तौर पर, निर्णय लेते समय उनसे सलाह नहीं ली जाती है। इस प्रकार, महिला प्रतिनिधि ग्राम प्रशासन में पुरुष के प्रभुत्व से मुक्त नहीं हैं और गांवों में महिला स्वयं शक्ति के बराबर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर पाती हैं।⁵

घोटालों की राजनीति के दिनों में, चुनावों में, धन और माफिया की बढ़ती भूमिका ज्यादातर महिलाओं को राजनीति से दूर रखती है। उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा और अश्लीलता महिलाओं को भयभीत करती है और फलस्वरूप वे राजनीति से बाहर रहना पसंद करती हैं। इस खेदजनक स्थिति के कारण क्या हैं? मुद्दे विभिन्न और विविध हो सकते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी मुद्दे विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय हैं:-

- (क) जागरूकता की कमी
- (ख) सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण का अभाव
- (ग) राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव
- (घ) जवाबदेही तंत्र की विफलता
- (ङ) पुलिस बल द्वारा प्रवर्तन में कमी
- (च) लिंग संस्कृति का अभाव।⁶

प्रश्न यह उठता है कि राजनीति में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी कैसे हो सकती है? आम तौर पर इसका जवाब

‘आरक्षण’ के रूप में दिया जाता है। हालाँकि, महज आरक्षण से समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक कि महिलाओं को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सामुदायिक शक्तियाँ नहीं दी जाती हैं और वे खुद अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक नहीं हो जाती हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे। केवल ग्राम पंचायत में महिला सदस्यों को शामिल करके व्यवस्था में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसी समय, सामाजिक-आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका और महत्व के बारे में कुछ रूढ़िवादी प्रचलित धारणाओं को समाप्त करना भी आवश्यक है। महिलाओं को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पुरुष प्रतिनिधियों को महिला प्रतिनिधियों के साथ तालमेल स्थापित करना होगा और उनके विचारों को उचित सम्मान और ध्यान देना होगा। विकास और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को पुरुषों के साथ काम करना पड़ता है। बेशक, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में उनके लिए आरक्षण के कारण महिलाओं में कुछ जागरूकता है।⁷ लेकिन पंचायतों के कामकाज में विभिन्न पहलुओं से संबंधित उपयुक्त प्रशिक्षण और शिक्षा की आवश्यकता है ताकि महिला सदस्यों को पंचायत समिति में उनकी प्रभावी भूमिका और प्रतिनिधित्व के बारे में जागरूक किया जा सके। चुनाव के तुरंत बाद इस तरह का प्रशिक्षण जिला या ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि महिला प्रतिनिधि विभिन्न महिला और बाल विकास कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इससे ऐसे कार्यक्रमों की प्रभावकारिता में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, महिला प्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत का प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने पर पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिए। इस संदर्भ में उन महत्वपूर्ण विवरणों का अभ्यास किया जाना है, जो 21वीं सदी के इस तेज गति वाले जीवन में एक वास्तविक चुनौती है, जिसका मानव को उसकी दिव्यता के साथ होना चाहिए।⁸

(नीचे दिये प्वाइंट्स के पहले कुछ होना चाहिए। अधूरा प्रतीत होता है। कृपया चेक करें।).....
.....?

1. अपनी चेतना, स्पष्टता, स्वतंत्रता, साहस और अनुशासन को अपडेट करें।
2. खुद को झूठी मान्यताओं और धारणाओं से मुक्त करें।

3. स्वयं को विचार, अनुभव और व्यवहार में जड़ताओं से मुक्त करें।
4. अपराधबोध, शर्म, दोष, पीड़ित चेतना और सह-निर्भरता को त्यागें।
5. अपने अनुभव के माध्यम से सार्थक तरीके से संवाद और मार्गदर्शन करें।
6. अपने जीवन से सीखें और आगे बढ़ें।
7. अपनी जागरूकता की स्थिति बढ़ाएं।
8. अपने दैनिक जीवन में अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनें।

मुख्य ध्यान समान काम और रोजगार में भेदभाव को खत्म करने पर होना चाहिए। बुनियादी नीति उद्देश्यों में से एक महिला की सार्वभौमिक शिक्षा होनी चाहिए, जिसका अभाव असमान स्थिति को समाप्त कर देता है।⁹ यूनेस्को का लोकप्रिय नारा इस उपयोग में आना चाहिए “एक आदमी को शिक्षित करेंगे तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करेंगे और यदि एक महिला को शिक्षित करेंगे तो आप एक परिवार को शिक्षित करेंगे।” महिलाओं को ऊपर से सशक्त करने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए खुद को नीचे से सशक्त बनाना होगा। इसके अलावा, समाज के मूल्यों और व्यवहार में बदलाव, सकारात्मक सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तीकरण की आवश्यकता और राजनीति से जुड़ने के लिए महिलाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति को और दृढ़ संकल्पित करने की जरूरत है। शिक्षा महिलाओं के बीच वांछनीय व्यवहारिक परिवर्तनों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और उन्हें विभिन्न राजनीतिक समस्याओं से निपटने के लिए ज्ञान और क्षमता के मामले में अच्छी तरह से सुसज्जित करती है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महिलाओं ने अपनी भूमिकाओं और क्षमताओं के बारे में परम्परागत धारणाओं को स्थानांतरित कर दिया है। समाज में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है और यह बेहतरी के लिए किया गया है। इसके कई लाभ समाज को मिलना शेष हैं। यदि महिलाओं के सरोकारों को संबोधित करने के लिए बनाए गए कानूनों का महिलाओं के जीवन पर एक नाटकीय और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उन्हें दुनिया भर में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नयन के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उनकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह होना चाहिए कि वे किस हद तक महिला को उनकी स्वयं की आवाज, मूल्यों और चिंताओं को शामिल करते हुए अपने स्वयं के निर्माण के कानूनों की व्याख्या, आवेदन और लागू करने में सक्षम बनाते हैं।¹⁰

(अंत में सारांश नहीं है).....?

संदर्भ:

1. एग्नेस, लाविया, परिवार में हिंसा : पत्नी की पिटाई, बॉम्बे, एसएनडीटी, महिला केंद्र, 1980
2. आहूजा, आर, महिला के विरुद्ध अपराध, रावत प्रकाशन, जयपुर, 1987
3. फोर्ब्स, गेराल्डिन, 1981, द इंडियन वूमेन मूवमेंट: ए राइट फॉर वूमेन राइट्स या नेशनल लिबरेशन?, गेल मिनाल्ट (एड), विस्तारित परिवार, चाणक्य पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0सं0 49-82।
4. फोर्ब्स, गेराल्डिन, वूमन इन मॉडर्न इंडिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000
5. कुमार, राधा, ईज/एज ऑफ डूइंग, काली फॉर वूमेन, नई दिल्ली, 1993
6. केलकर, गोविंद, भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा- परिप्रेक्ष्य और

रणनीतियाँ, एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकॉक, 1991

7. किश्वर, मधु और वनिता, रूथ (संपा0), उत्तर की तलाश में, लंदन, जेड बुक्स, 1984
8. मजूमदार, बीना, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन: 19 वीं शताब्दी में तीन अध्ययन, बंगाल, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला, 1972
9. पांडे, रेखा, भारत में प्रारंभिक युग की शादी - एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उड़ीसा के इतिहास के नए पहलुओं के जर्नल में वॉल्यूम XV, 2013, पृ0सं0 19-31
10. पांडे रेखा बिन्दू, के.सी. मुमताज फातिमा, नुजहत खातून, घरेलू हिंसा के आख्यान, मर्दानगी और स्त्रीत्व का पुनर्निर्माण, सिंह, मंजीत और डी. पी. सिंह (संपा0), हिंसा-हिंसा और हस्तक्षेप, नई दिल्ली, अटलांटिक प्रकाशक और वितरक, पृ0सं0 121-140, 2008



(Continued from Page No. 39)

Teaching

Internship Programme: A Reflective

and practice, the formation of teacher identity and development of social and cultural consciousness. The internship programme can also be used as an opportunity when the prospective teacher teaches those students who have some learning problems. The diagnosis, prognosis and remedial measures are presented through such programmes.

Importance For Further Researches:

- The objectives of the programme should be clear to all the participants of the programme.
- The gaps between orientation programmes and initiation of training of prospective teachers are filled up.
- The prospective teachers should be provided with adequate co-operation with supervisors and students.
- The assessment of prospective teachers should be continuous so that they might be able to carry the seeds of further progress.
- The training programme should be studied and re-oriented in all aspects.
- The trainees get practice in teaching continuous units so that they might have scope to develop dynamism, initiative and resourcefulness as

competent teachers.

- The teaching internship programme should be organised in proper way.

References:

1. Saiyadain, K.G. (1962). "Problems of Educational Reconstruction", Asia publishing house, Bombay
2. Lindsey, S. (1962). "Working with Student Teachers", Eurasia publishing house, Pvt. Ltd, Delhi
3. Johnson, C.E. (1974). "Competency Based and traditional practices Compared" Journal of Teacher Education, Aug., Pp.355-56
4. Rajput, J.S. (2001). "Encyclopaedia of Indian Education", NCERT, New Delhi, Vol. II
5. Murthy, S. K. (1979). "Contemporary Problems and Current Trends in Education", Prakash brothers, Ludhiana
6. Sahay, M. and Samuel, M. (2010). "Influence of emotional intelligence on attitude towards teaching of student teachers" Edutracks, Neelkamal Publication Pvt. Ltd., Hyderabad, India, Aug., vol. 9, no. 12, Pp.24
7. www.delnet.com

